उ0प्र0 परिवहन निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001

दूरभाष : पी0बी0एक्स0–2225439, 2222363, 2228461

फैक्स : 0522–2274526, 2228841, 2274578

दिनांक २०नवम्बर, 2019

संख्या–/390–03जन/ढाबा/2019

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय :परिवहन निगम से अनुबंधित यात्री प्लाजा के निरीक्षण में पायी गयी शर्तो/मानकों के अनुरूप कमियॉ, शिकायते एवं यात्री सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–277रोपी/14–टीसी/12, दिनॉक–26.02.2014, परिपत्र संख्या–177रोपी/2015–14रोपी/टीसी/12,दिनॉक–22.01.2015, परिपत्र संख्या–359रोपी/14रोपी/टीसी/12, दिनॉक–25.02.2016 एवं परिपत्र संख्या–1141 रोपी/19–14रोपी/टीसी/12, दिनॉक–12.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा यात्री प्लाजा अनुबंध किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

इसी प्रकार परिपत्र संख्या–825रोपी/15, दिनॉक–15.04.2015 एवं परिपत्र संख्या–1252रोपी/19–185जन/ढाबा/2005, दिनॉक–17.10.2019 द्वारा आपको यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि मार्ग में संचालित अनाधिकृत यात्री प्लाजा व अन्य अनाधिकृत स्थानों(ढाबों) पर बसें कदापि न रोकी जाय, अन्यथा बस के संबंधित चालक/परिचालक को यात्रियों के अवैध डी–टेन्शन का दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के साथ विधिक कार्यवाही की जायेगी। अनाधिकृत ढाबो में बस को खड़ी करते पाये जाने पर संबंधित क्रू के विरूद्ध प्रथम प्रकरण पाये जाने पर प्रत्येक प्रकरण में दो हजार रूपये का दण्ड रोपित कर कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देश दिये गये थे कि यदि चालक/परिचालक नियमित है तो निलम्बन की कार्यवाही करते हुये अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय और यदि सम्बन्धित क्रू संविदा कार्मिक है तो उसकी संविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिये जाने के अतिरिक्त उस क्षेत्र/डिपो के अधीनस्थ अनधिकृत ढाबे पर बसें खड़ी पाये जाने पर उस क्षेत्र के चेकिंग दल, डिपो चेकिंग दल को उत्तरदायी मानते हुये कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। चेकिंग में बार–बार बसें अनधिकृत ढाबों पर खड़ी पाये जाने पर सम्बन्धित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का प्राविधान परिपत्र दिनांक 17.10.2019 में प्राविधानित किया गया था।

दिनांक 19.11.2019 को वीडियो कन्फ्रेसिंग के दौरान निगम में अनुबन्धित यात्री प्लाजा की समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश आये कि उपरोक्त परिपत्रों के द्वारा दिये गये निर्देशों के बावजूद भी में मार्ग पर संचालित बसें परिवहन निगम के अधिकृत यात्री प्लाजा के स्थान पर अनाधिकृत ढाबों पर ठहराव कर रही हैं जिस हेतु यात्रियों एवं प्लाजा स्वामियों द्वारा शिकायतें/परिवाद विभिन्न स्तर से निगम मुख्यालय में प्राप्त हो रही हैं।

विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत निगम से अनुबंधित यात्री प्लाजाओं के विरूद्ध भी यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि यात्री प्लाजा स्वामी द्वारा अनुबंध पत्र में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यात्री प्लाजा में खानपान की गुणवत्ता, रेट चार्ट, प्रसाधन, पेयजल की व्यवस्था एवं उच्च कोटि की सफाई का अभाव निरीक्षण अधिकारियों द्वारा पाया गया। निरीक्षण के दौरान कतिपय यात्री प्लाजा में यह भी पाया गया कि उनके द्वारा अनुबंध

में उल्लिखित शर्तो को पूर्ण न कर स्वेच्छाचारितापूर्वक संचालित किया जा रहा है। बसों की पार्किग हेतु अनुबंध में उल्लिखित क्षेत्रफल के अनुसार स्थान न होने के साथ–साथ प्लाजा के सामने खडंजा, इंटरलार्किग की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गयी, जिसके कारण निगम बसों के ठहराव में असुविधा होती है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्देश दिये जाते है:–

1– क्षेत्रीय प्रबन्धक अपने क्षेत्र में परिवहन निगम में अनुबंधित यात्री प्लाजा का प्रत्येक माह निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।

2– यात्री प्लाजा के खानपान की व्यवस्था अनुबंध की शर्तो के अनुसार हो।

3– मार्ग पर पड़ने वाले अनाधिकृत ढाबा की निरन्तर चेकिंग करायी जाये।

4– निरीक्षणकर्ताओं द्वारा यात्री प्लाजा की सफाई–व्यवस्था, बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का निरीक्षण सुनिश्चित करें।

5– खाद्य पदार्थो का रेट चार्ट, परिवाद पुस्तिका उपलब्ध है अथवा नहीं।

6– निगम के बस क्रू द्वारा अनाधिकृत ढाबों पर बसे न रोकी जाये इसके लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

7– परिवहन निगम में अनुबंधित यात्री प्लाजा के निरीक्षण उपरान्त पायी गयी अनुबंध की शर्तो / मानकों के अनुरूप कमियॉ एवं यात्री सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने पर यात्री प्लाजा के मालिको को कारण बताओं नोटिस नियमानुसार जारी किया जाये।

8– कारण बताओं नोटिस निर्गत करने के 15 दिवस के उपरान्त पुनः संबंधित यात्री प्लाजा का निरीक्षण किया जाये। निरीक्षण में कमियॉ पाये जाने पर नियमानुसार यात्री प्लाजा के अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

9– परिवहन निगम की बसों ''मील ऑन रोड'' ऐप के माध्यम से निगम द्वारा अधिकृत ढाबों पर बस ठहराव सुनिश्चित कर यात्रियों को प्री–आर्डर भोजन सुविधा प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाये।

परिवहन निगम में अनुबंधित यात्री प्लाजाओं का थर्ड पार्टी के माध्यम से निरीक्षण कराया जायेगा। निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी आदि पायी जाती है तो संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरूद्ध कठोरतम अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

अतः यात्री प्लाजा के निरीक्षण हेतु निर्धारित मानक से संबंधित सूची संलग्नक कर निर्देश दिये जाते हैं कि मानकों के अनुसार समीक्षा कर मदवार टिप्पणी तुलनात्मक चार्ट में फोटो एवं वीडियो के साथ उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिनॉक–10.12.2019 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये।

(डॉ0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

<u>समसंख्यक / समदिनांकित।</u>

प्रतिलिपि समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने क्षेत्र के मासिक निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में संचालित यात्री प्लाजा का निरीक्षण कर अपनी आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(डॉ0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक